(86)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3931-पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 30-09-2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 506/2013-14/अपील

राधाकिशन पिता स्व. रामरतन
निवासी 105, हीरा नगर, इंदौर .....आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती सुभद्राबाई बेवा जगन्नाथ
2. अशोक पिता स्व. जगन्नाथ
3. हरिप्रसाद पिता स्व. जगन्नाथ
4. ओमप्रकाश पिता स्व. जगन्नाथ
5. दिलीप पिता स्व. जगन्नाथ
6. राजकुमार पिता स्व. जगन्नाथ
   सभी निवासी ग्राम भांग्या, तहसील सांवेर, जिला इंदौर
7. मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदकगण

श्री जसवंत सिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री भरत मालवीय, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 30-09-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेकद द्वारा तहसीलदार सांवेर जिला इंदौर के समक्ष संहिता की धारा 117 सहपठित संहिता की धारा 121 व 32 के अंतर्गत इस आशय से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम भाग्या तहसील सांवेर जिला इंदौर स्थित प्रश्नाधीन

भूमि सर्वे क्रमांक 217/1, 217/2, 217/3 में से सर्वे क्रमांक 217/1 में से 1 बीघा भूमि आवेदक के पिता को दिनांक 31-09-1961 को लीज पर दी गई थी, जब से उनका ही कब्जा रहा है और पिता की मृत्यु उपरांत उक्त भूमि पर आवेदक का कब्जा है । उक्त भूमि अनावेदक पक्ष के पूर्वज जगन्नाथ व बद्रीलाल के वारिसों ने अपना नामांतरण करा लिया है, अत: प्रश्नाधीन भूमि के खसरा के कॉलम नंबर 12 में उसका नाम दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 9/अ-74/2012-13 दर्ज कर दिनांक 24-02-2014 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सांवेर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 21-08-2014 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30-09-2014 को आदेश पारित कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :-

1. तहसील न्यायालय को खसरा प्रविष्टि का अधिकार नहीं है, जबकि संहिता की धारा 177, 121 में कब्जे की प्रविष्टि किये जाने संबंधित प्रावधान है, जिसे नजर अंदाज कर आदेश पारित करने में तहसील न्यायालय ने विधि की भूल है ।
2. संहिता की धारा 32 यदि कब्जे की प्रविष्टि हेतु आवेदन के संदर्भ में कोई अभिव्यक्त उपलब्ध नहीं है तो न्यायालय न्यायहित में अंतनिर्हित शक्तियों के अधीन आदेश पारित करने में सक्षम है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विवेक का उपयोग नहीं करने में भूल की है ।
3. तहसीलदार अथवा किसी क्षेत्र के कर्मचारी को किसी प्रकार की नवीन प्रविष्टि करने की अधिकारिता नहीं है, यहां यह उल्लेखित है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक से आवेदक को प्रविष्टि इन्द्राज करने का अधिकार था, किन्तु तहसील न्यायालय ने प्रकरण विचारण न होने से सुनवाई निरस्त की जाती है ।
4. अधीनस्थ न्यायालय मौका नक्शा पटवारी रिपोर्ट के समय फसल बोना पाई जाती है, जो खसरा में ऐसी प्रविष्टि की जा सकती है । इस तर्क के समर्थन में 1994 रा.नि. 395 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत है ।

5. प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का 52 वर्ष से कब्जा है । इन तथ्यों एवं परिस्थितियों व प्रकरण में प्रमाण का अवसर दिये बिना आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की है । इस तर्क के समर्थन में 1985 रा.नि. 148 हायकोर्ट के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।
6. संहिता की धारा 121 नियम 6,7,8 तथा धारा 41 नियम 1 यदि पटवारी द्वारा कब्जे की प्रविष्टि नहीं की जाती है तो उपचार तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन किया जा सकता है । इस तर्क के समर्थन में 1995 रा.नि. 366 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।
7. अधीनस्थ न्यायालय ने संहिता की धारा 121 के अधीन कब्जे की नई प्रविष्टि इस उपबंध के अधीन की जा सकती है । इन प्रावधानों को नजरअंदाज करने में विधि की भूल की है । इस तर्क के समर्थन में 2004 रा.नि. 365 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।
8. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में बिना पटवारी रिपोर्ट मौका पंचनामा बगैर आवेदक का आवेदन निरस्त करने में विधि की भूल की है ।
9. विवादित आदेश पारित किये जाने के पहले प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों राजस्व दस्तावेजों का योग्य परिशील किये बगैर विवादित आदेश पारित किया गया है, जो स्थिर रखे जाने योगय नहीं है ।
10. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान, वस्तुस्थिति एवं नैसर्गिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योगय है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि के खसरा के कॉलम नंबर 12 में नाम दर्ज करवाना चाहता है, जबकि संहिता में कब्जा इंद्राज करने की कोई धारा नहीं है । यह भी कहा गया कि आवेदक के पक्ष में जो लीज है वह पंजीकृत नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत दोनों अपीले भी निरस्त हुई है । इस आधार पर कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक के पक्ष में यदि वर्ष 1961 में निष्पादित लीज डीड निष्पादित

हुआ है तो वह वर्ष 2013 में क्यो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । आवेदक के पक्ष में जो लीज डीड सम्पादित हुआ है, वह अपंजीकृत है और उसके द्वारा मूल लीज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त राजस्व अभिलेखों में प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 217/1 का रकबा 1.615 है, जो कि अनावेदक पक्ष के नाम दर्ज है, जबकि लीज डीड में कम रकबे का उल्लेख है । उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । अत: तहसील न्यायालय द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसे अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी स्थिर रखा गया है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं । इस सम्बन्ध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं । अत: आवेदक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 30-09-2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर